न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास डॉ0 वीना प्रधान, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक/वि.अ./37/21/भीलवाड़ा (2021/00037)

विभागीय अपील द्वारा श्री रामस्वरूप, तत्कालीन पटवारी कुण्डियाकलां प्रथम तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा हाल पटवारी पटवार मण्डल जालमपुरा, तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा के विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा क्रमांक वि0जांच/01/2020/204 दिनांक 28/29–05–2020 जिसके द्वारा अपचारी कर्मचारी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव(Without Cumulative Effect) से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

उपस्थितः– श्री रामस्वरूप, तत्कालीन पटवारी कुण्डियाकलां प्रथम तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा हाल पटवारी पटवार मण्डल जालमपुरा, तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा ।

निर्णय

दिनांकः– 06/12/2021

यह अपील राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा के आदेश दिनांक 28/29–05–2020 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए उनके नाम एक ज्ञापन क्रमाक 23 दिनांक 08–1–2020 मय आरोप पत्र जारी किया गया। इनके विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गयेः–

आरोप संख्या–1

यह है कि आप श्री रामस्वरूप पटवारी कुण्डियाकलां हाल – कासोरिया तहसील बनेडा के पद पर कार्यरत रहने के दौरान दिनांक–01.01.2020 की मध्य रात्रि को तहसील बनेडा के रेवेन्यू स्टॉफ व्हाट्सएप ग्रुप पर अद्योहस्ताक्षरकर्ता (उपखण्ड अधिकारी बनेडा) पर अनर्गल आरोप लगाते हुए कई भ्रामक टिप्पणीयां पोस्ट की, जिसमें श्री प्रेमशंकर पि0 रामचन्द्र बलाई जेटीए आसीन्न्द नि0 कुण्डियाकलां को पुलिस थाना रायला द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे में. जेल नहीं भेजने सम्बन्धी टिप्पणीयां अंकित की, जबकि गैर सायल की और से

Scanned with CamScanner

नियमानुसार प्रकरण में वांछित 1,00,000/– रूपये राशि की सन्तोषप्रद जमानत पेश करने के बाद गैर सायल को रिहा किया गया था तथा पोस्ट की गई टिप्पणीयों में सरपंच कासोरिया से रिश्वत लेकर पटवारी कुण्डियाकलां एवं कासोरिया के स्थानान्तरण करने संबंधी टिप्णीयां भी अंकित की, जबकि आपके विरूद्ध ग्राम कुण्डियाकलां में भारी आक्रोश, धरना प्रदर्शन, अद्योहस्ताक्षरकर्ता को ज्ञापन प्राप्त होने के उपरान्त, कानून व्यवस्था के मद्देनजर तहसीलदार बनेडा से बाद विचार विमर्श कार्य व्यवस्थार्थ पटवार मण्डलो को बदला गया। आप.द्वारा तहसील बनेडा के रेवेन्यू स्टॉफ व्हाट्सएप ग्रुप पर अद्योहस्ताक्षरकर्ता उपखण्ड अधिकारी बनेडा पर आधारहीन टिप्पणीयां अंकित कर तहसील क्षेत्र का माहोल खराब किया है तथा राजस्व विभाग एवं उच्चाधिकारी की छवि को धूमिल करने का कृत्य किया है। पटवारी का उक्त कृत्य उच्चाधिकारी के विरूद्र घोर अनुशासनहीनता एवं कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही को प्रदर्शित करता है।

अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेत श्री रामस्वरूप के विरूद्द उक्त सम्बन्ध में श्रीमान जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा को उपखण्ड अधिकारी बनेडा कार्यालय के पत्रांक/विविध/ 2020/7 दिनांक 0301.2020 से आरोप एवं आरोप विवरण पत्र प्रेषित किये गये जिसके संबंध में जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा के समक्ष श्री रामस्वरूप पटवारी को दिनांक 05.02.2020 को हुई व्यक्गित सुनवाई में पटवारी के जवाब से असन्तुष्ट होने से श्री रामस्वरूप पटवारी कुण्डिया के विरूद्ध सीसीए नियम 17 में प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार बाद जांच निर्णय किया जाकर निर्णय से अवगत कराने हेतु पत्रांक प.1ख16(03)भू0अ0/2020/65312 दिनाक 17.02.2020 से उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा को निर्देशित किया गया।

अपीलार्थी को 07 दिवस के अन्दर लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इनके द्वारा दिनांक 13–1–2020 को निर्धारित अवधि में लिखित अभिकथन प्रस्तुत कर आरोपों को अस्वीकार किया गया। इनको दिनांक 20–3–2020 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया। व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान कार्मिक ने लिखित में प्रत्युतर प्रस्तुत किया गया। उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा ने अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप सिद्ध पाये जाने पर उक्त प्रकरण में दोषी मानते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है। उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा के उक्त दण्डादेश दिनांक 28/29–5–2020 को विचाराधीन अपील में चुनौती दी गई है।

Scanned with CamScanner

अपील दर्ज की जाकर अपचारी पटवारी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा का रेकार्ड व टिप्पणी प्राप्तं की गई। अपचारी पटवारी को व्यक्तिशः सुना गया इनका कथन है कि उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा का आदेश दिनांक 28/29–5–2020 सीसीए नियमों के नियम 17 के तहत निहित विधिक प्रकिया की अक्षरशः पालना किये बिना दण्डादेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अपीलार्थी ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा ने अपने स्तर से जो आरोप व आरोप पत्र स्थापित किया है वह अस्पष्ट होने से पोषणीय नहीं है। अनुशासन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा ने जांच निष्पक्ष एवं न्यायसंगत विधि प्रावधानुसार नहीं की गई है। न्यायिक सिद्धान्तो को दरकिनार करते हुये पूर्व निर्धारित मंशा व पूर्व ग्रसित मानसिकता से कि आरोपति को दण्ड देना है, कार्यवाही कर दण्डादेश जारी किया गया है। ऐसा आदेश न्याय की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। इसके अतिरिक्त आरोप/आरोप विवरण पत्र अनुसार अनुशासनिक अधिकारी स्वयं शिकायतकर्ता है फिर उन्ही के द्वारा जांच की जाकर अनुशासनिक अधिकारी की हैसियत से दण्डादेश पारित किया गया है। विधि प्रावधानुसार शिकायतकर्ता/अभियोजन कर्ता न्यायाधीश की भूमिका नहीं निभा सकता है जिससे जारी किया गया अपीलाधीन दण्डादेश निरस्तनीय है।

अपीलार्थी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान यह भी कथन किया गया कि अपीलाधीन निर्णय कारण युक्त नहीं है, non speaking है अपीलार्थी के विरूद्ध निर्णय में कोई विपरित साक्ष्य या सामग्री को न तो संदर्भित किया है न ही विवेचित कर निष्कर्ष निकाला गया है जिससे आरोपो को प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है। अन्त में अपीलार्थी ने स्वयं को पूर्व नौसैनिक होना बताते हुये, सैनिक कर्तव्यनिष्ठ, त्याग, देशहित में बलिदान हेतु जाने जाते हुये बतातें हुये प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा कमांक वि0जांच/01/2020/204 दिनांक 28/29–05–2020 को निरस्त करने का निवेदन किया।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील पर लगाये गये आरोप के संबंध में उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा से टिप्पणी प्राप्त की गई जिसमें उनके द्वारा पत्र कमांक वि0जा0/2020/843 दिनांक 24–12–2020 से टिप्पणी प्रेषित कर कथन किया कि अपीलार्थी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत दिनांक–01.01.2020 की मध्य रात्रि को तहसील बनेडा के रेवेन्यू स्टॉफ व्हाट्सएप ग्रुप पर उपखण्ड अधिकारी बनेडा पर अनर्गल आरोप लगाते हुए कई भ्रामक टिप्पणीयां पोस्ट करने पर आरोप व आरोप विवरण

Scanned with CamScanner

पत्र जारी किया गया जो रेकार्ड पर उपलबध है। जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा द्वारा भी अपीलार्थी की दिनांक 05.02.2020 को व्यक्गित सुनवाई कर जवाब से असन्तुष्ट होने के उपरान्त सीसीए नियम 17 में प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार बाद जांच निर्णय किया जाकर निर्णय से अवगत कराने हेतु उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा को निर्देशित किया था। उक्त निर्देशों की पालना में जांच उपरान्त अपीलार्थी की व्यक्तिगत सुनवाई/जबाब अनुसार रेवेन्यू स्टॉफ व्हाट्सएप ग्रुप पर उपखण्ड अधिकारी बनेडा पर आधारहीन टिप्पणीयां अंकित कर तहसील क्षेत्र का माहोल खराब किया जाने तथा राजस्व विभाग एवं उच्चाधिकारी की छवि को धूमिल करने के कृत्य के कारण दोष सिद्धी पाये जाने पर राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव (Without Cumulative Effect) से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

मैंनें अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील एवं अपील में व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उठाये गए बिन्दुओं पर विचार किया तथा उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा द्वारा प्रेषित टिप्पणी, नोटशीट व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात तथा प्रकरण में अपचारी पटवारी को जारी आरोप पत्र व अपचारी द्वारा दिये गये आरोप के प्रत्युत्तर तथा द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई में प्रस्तुत किये गये तथ्यों एवं दस्तावेजात का गहराई से अध्ययन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि अपीलार्थी का दिनांक 20.03.2020 को अनुशासनिक अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई में प्रस्तुत प्रत्युतर है कि दिनांक 02.12.2019 ग्राम कुण्डियाकलां में मोबाईल छिनने की घटना की लिखित सूचना पुलिस थाना रायला में दी गयी तथा दिनांक 02.12.2019 को संभवतया मेरे फोन का दुरूपयोग किया जाना प्रतीत होता है। आरोप विवरण अनुसार दिनांक 01.01.2020 की मध्य रात्रि को तहसील बनेडा के रेवेन्यू स्टॉफ व्हाट्सएप ग्रुप पर उपखण्ड अधिकारी बनेडा पर अनर्गल आरोप लगाते हुए कई भ्रामक टिप्पणीयां पोस्ट किया जाना अंकन है जिनके मध्य तारीख में लगभग एक माह का अन्तर है तथा दिनांक 01.01.2020 को पत्रावली में लिखित मैसेज विवरण अनुसार उक्त मैसेज अपीलार्थी के अतिरिक्त किसी बाहर के व्यक्ति के द्वारा अंकित किये जाने प्रतीत नहीं होते है। ऐसी भ्रामक व आधारहीन टिप्पणीयो से अपीलार्थी ने तहसील क्षेत्र का माहोल खराब किया जाने तथा राजस्व विभाग एवं उच्चाधिकारी की छवि को धूमिल करने के कृत्य किया है चूकि अपीलार्थी पूर्व नौसैनिक है किन्तु उसके उपरान्त भी उनके द्वारा अपने अधिकारो से परे जाकर अनुशासनहीनता किये जाने का प्रयास किया है जो किसी प्रकार से क्षम्य नहीं है।

Scanned with CamScanner

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर श्री रामस्वरूप, तत्कालीन पटवारी कुण्डियाकलां प्रथम तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा हाल पटवारी पटवार मण्डल जालमपुरा, तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा की अपील अस्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा क्रमांक वि0जांच/01/2020/204 दिनांक 28/29–05–2020 जिसके द्वारा अपचारी कर्मचारी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव (Without Cumulative Effect) से रोके जाने के दण्ड को यथावत रखा जाता है। निर्णय की सूचना संबंधित को दी जावें।

Scanned with CamScanner